Hindi | हिंदी

safe work australia

ऑस्ट्रेलिया में कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा: प्रवासी और बहुसांस्कृतिक कर्मियों के लिए जानकारी

ऑस्ट्रेलिया में सभी के पास कार्यस्थल में स्वस्थ और सुरक्षित रहने का अधिकार है।

कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानून सभी कर्मियों की रक्षा करते हैं, चाहे वे कैसे भी कार्यरत हों (जैसे लेबर हायर [किराए पर श्रम]; कैजुअल [आकस्मिक]) या उनकी वीज़ा की स्थिति कुछ भी हो। ऑस्ट्रेलिया में सभी कार्यस्थलों और सांस्कृतिक समूहों के लिए समान कानून लागू होते हैं।

आपके अधिकार क्या हैं?

आपके पास कार्यस्थल में स्वस्थ और सुरक्षित रहने का अधिकार है, जिसमें निम्नलिखित अधिकार भी शामिल हैं:

1. एक स्वस्थ और सुरक्षित सुविधायुक्त जगह में कार्य करना (जैसे स्वच्छ शौचालय और पीने के पानी की आसान सुलभता)
2. अपनी नौकरी से संबंधित संभावित खतरों से अवगत होना और इसे सुरक्षित रूप से करने का तरीका दिखाया जाना
3. काम शुरू करने से पहले आपको सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए उपयुक्त उपकरण और/या कपड़े दिए जाना (आपको इनके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है)
4. कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करना - आपके कार्य-नियोक्ता का यह एक कानूनी कर्तव्य है कि वह आपको स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ प्रकट करने दे, और ऐसा करने के लिए आपको दंडित करना या आपको नौकरी से निकालना अवैध है
5. यदि आपको यथोचित रूप से चिंता है कि कार्य से आपको या दूसरों के लिए शारीरिक नुकसान या बीमार पड़ने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, तो कार्य करने से मना करना और
6. कार्यस्थल पर शारीरिक नुकसान या बीमारी की रिपोर्ट करने का तरीका दिखाया जाना।

कार्य-नियोक्ताओं को कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानूनों के तहत क्या करने की आवश्यकता है?

कार्य-नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है कि वे:

1. आपके शारीरिक और मानसिक, दोनों स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संरक्षण के लिए वह सब-कुछ करें, जो वे यथोचित रूप से कर सकते हैं
2. एक सुरक्षित और समर्थनकारी कार्य-परिवेश प्रदान करें
3. आपके कार्यस्थल में खतरों की खोज करें और उन्हें दूर करें - यदि खतरे को दूर नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा कि किसी को भी शारीरिक नुकसान या बीमारी न हो
4. आपको प्रशिक्षण, सूचना व निर्देश प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि आपको अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उसे सुरक्षित रूप से करने के तरीके की समझ है
5. कार्य आरंभ करने से पहले आपको सुरक्षापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक उपयुक्त उपकरण या कपड़े प्रदान करें
6. कार्यस्थल, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में बात करें। उनके लिए आपके प्रश्नों के उत्तर देना और आपके विचारों को सुनना आवश्यक होगा
7. आपको कार्यस्थल पर शारीरिक नुकसान या बीमार होने की रिपोर्ट करने का तरीका दिखाएँ।

खतरे क्या होते हैं?

खतरे आपको कार्यस्थल पर शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा सकने वाली बातें होते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- ज़मीन के ऊपर काम करना (उदाहरण के लिए अलमारियों में सामान रखने के लिए सीढ़ी पर चढ़ना या छत पर काम करना)
- बिजली के साथ कार्य करना
- भारी या बड़े आकार के वज़न उठाना या इधर-उधर ले जाना
- बहुत गर्म या ठंडी जगहों पर कार्य करना
- बहुत तेज शोर-शराबा होना
- मशीनरी या उपकरण के साथ कार्य करना (जैसे कारखाने में)
- रसायनों के साथ कार्य करना (जैसे सफाई कार्य)
- लंबे समय तक कार्य करना या कड़ी मेहनत करना (जैसे हाथ से खुदाई, निरंतर मानसिक मांगें या एकाग्रता)
- एक ही स्थान पर लंबे समय तक कार्य करना (जैसे अधिक शारीरिक गति या विश्राम लेने में सक्षम हुए बिना बैठे या खड़े रहना)
- असहज शारीरिक स्थितियों में कार्य करना या लंबे समय तक एक ही शारीरिक मुद्रा में बने रहना
- लंबे समय तक दोहराई जाने वाली शारीरिक गति करना
- अकेले या किसी ऐसे स्थान पर कार्य करना, जहाँ आवश्यकता पड़ने पर सहायता मिलना कठिन है
- हानिकारक धूल या कणों को सांस में अंदर लेना (जैसे निर्माण-स्थल पर)
- डराना-धमकाना (बुलीइंग) और उत्पीड़न करना, जिसमें नस्लीय और यौन उत्पीड़न शामिल है, और
- आक्रामक व्यवहार व हिंसा करना।

आप खुद को और दूसरों को सुरक्षित कैसे रख सकते/ती हैं?

यह आवश्यक है कि आप कार्यस्थल पर अपने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की देखभाल भी करें, और अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा न करें। आप इन माध्यमों से ऐसा कर सकते/ती हैं:

- वेतनीय कार्यावधि में कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रशिक्षण में शामिल होना और अपना कार्य करने के लिए प्रदान किए गए प्रशिक्षण का अनुपालन करना
- यदि आपको प्रशिक्षण या सुरक्षापूर्वक कार्य करने का तरीका समझ में नहीं आता है, तो प्रश्न पूछना
- अपने कार्य-नियोक्ता से इस बारे में प्राप्त हुए यथोचित निर्देशों का पालन करना कि कार्यस्थल पर कार्य कैसे और कब करें, तथा उपकरण व औजारों का सुरक्षित रूप से उपयोग कैसे करें, और
- आपको कार्यस्थल में दिखाई देने वाले खतरों के बारे में अपने कार्य-नियोक्ता को बताना।

आप किससे सहायता मांग सकते/ती हैं?

यदि आप असुरक्षित महसूस करते/ती हैं, तो आपके पास अपने कार्यस्थल के बारे में प्रश्न पूछने और अपने पर्यवेक्षक, प्रबंधक या कार्य-नियोक्ता से बात करने का अधिकार है। आप जो कुछ भी नहीं समझ पाते/ती हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछना ठीक है।

यदि आपके कार्यस्थल में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधि (एचएसआर) उपलब्ध है, तो आप उनसे भी बात कर सकते/ती हैं। एचएसआर आपके कार्यस्थल पर चुना गया एक कर्मी होता है, जो कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में जानकार होता है और किसी भी चिंता में आपकी सहायता कर सकता है। यदि आपको लगता है कि कार्यस्थल पर कुछ अनुचित या असुरक्षित है, तो आप अपने यूनियन प्रतिनिधि के साथ भी बात कर सकते/ती हैं। यूनियन एक समूह होता है, जो किसी विशेष उद्योग या व्यवसाय में कर्मियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है।

हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए कार्य करते/ती हों, परन्तु आपको भुगतान कोई अन्य व्यक्ति करता हो (जैसे लेबर हायर एजेंसी)। वे दोनों यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि आप कार्यस्थल पर सुरक्षित रहते/ती हैं। आप इनमें से किसी एक या फिर दोनों के साथ कार्य, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में बात कर सकते/ती हैं।

आप उस राज्य या राज्य-क्षेत्र में स्थित कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियामक से भी संपर्क कर सकते/ती हैं, जहाँ आप काम करते/ती हैं – इनकी सूची इस दस्तावेज के अंत में दी गई है।

अनुवाद सेवाएँ

नि:शुल्क अनुवाद और दुभाषिया सेवाएँ TIS National (टीआईएस नैशनल) पर ऑनलाइन मौजूद हैं। यह सेवा दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध है, जिसमें 100 से भी अधिक भाषाएँ प्रस्तुत की जाती हैं।

यदि आपको कार्यस्थल पर शारीरिक नुकसान होता है, तो क्या होगा?

यदि आपको अपने कार्य के कारण शारीरिक नुकसान होता है या आप बीमार हो जाते/ती हैं, तो आपको अपने कार्य-नियोक्ता को यथाशीघ्र बताना चाहिए ताकि वे प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा सकें, खतरे को दूर कर सकें या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी यथोचित प्रयास कर सकें कि किसी अन्य को शारीरिक नुकसान न हो या वह बीमार न पड़े।

आपको चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने के लिए डॉक्टर या नर्स से भी मिलना चाहिए और चिकित्सीय प्रमाण-पत्र मांगना चाहिए। आपके पास अपने चयन के डॉक्टर या नर्स से मुलाकात करने का अधिकार भी है।

आप अपने कार्यस्थल से संबंधित शारीरिक नुकसान या बीमारी के चिकित्सीय उपचार और अन्य लागतों (जैसे कार्यस्थल में अनुपस्थिति के समय) के लिए भुगतान में सहायता हेतु कर्मी मुआवज़े का दावा कर सकते/ती हैं। ऑस्ट्रेलिया में कार्य-नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि उनके पास अपने सभी कर्मियों को कार्य के कारण होने वाले शारीरिक नुकसानों या बीमारियों को कवर करने के लिए कर्मी मुआवज़ा बीमा हो, जिनमें अस्थायी या स्थायी वीज़ा पर कार्यरत प्रवासी कर्मी भी शामिल हैं।

यदि आप एक ठेकेदार हैं (जोकि आप हो सकते/ती हैं, यदि आप स्व-नियोजित हैं या आपके पास कार्य के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई व्यवसाय संख्या (एबीएन) है), तो अपने कार्य करने के राज्य या राज्य-क्षेत्र में संगत कर्मी मुआवज़ा प्राधिकरण से संपर्क करके यह पता लगाना चाहिए कि क्या आप कर्मी मुआवज़े के तहत बीमे द्वारा संरक्षित हैं। यदि आप बीमे द्वारा संरक्षित नहीं हैं, तो आपको शारीरिक नुकसान होने या कार्य के कारण बीमार पड़ने की स्थिति में अपना खुद का बीमा लेने पर विचार करना चाहिए।

> ठेकेदार कौन होता है, इस बारे में सामान्य जानकारी के लिए आप Fair Work Ombudsman से 13 13 94 पर या www.fairwork.gov.au/contractors पर संपर्क कर सकते/ती हैं।

कर्मी मुआवज़ा बीमा आपको अपने शारीरिक नुकसान के बाद कार्य पर लौटने में भी सहायता दे सकता है। कर्मी मुआवज़ा प्राधिकरण आपके, आपके डॉक्टर और आपके कार्य-नियोक्ता के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि आपको कार्य पर लौटने में सहायता मिल सके।

दावा करने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए आप अपने कार्य करने के राज्य और राज्य-क्षेत्र के कर्मी मुआवज़ा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते/ती हैं - इस सूचना पत्रक के अंत में उनकी सूची दी गई है।

आपके लिए समुचित वेतन और शर्तों का अधिकार

ऑस्ट्रेलिया में न्यूनतम वेतन और कार्य परिस्थितियाँ लागू हैं। Fair Work Ombudsman कार्य-नियोक्ताओं व कर्मियों को कार्यस्थल में इन अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने में सहायता देता है। वे यह पता लगाने में भी आपको सहायता दे सकते/ती हैं कि आपको कितना वेतन मिलना चाहिए।

यदि Fair Work Ombudsman को लगता है कि किसी ने कार्यस्थल कानूनों को तोड़ा है, तो वे जाँच कर सकते हैं। वे आपसे बात कर सकते/ती हैं और सलाह दे सकते/ती हैं, भले ही आप अपने वीज़ा की कार्य शर्तों के उल्लंघन में हों।

> आप Fair Work Ombudsman से 13 13 94 पर या www.fairwork.gov.au पर संपर्क कर सकते/ती हैं।

कार्यस्थल में अपने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में और अधिक जानकारी, सहायता या सलाह के लिए कहाँ जाएँ?

प्रवासी कर्मी | Safe Work Australia पर जाएँ। कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में अनुवादित जानकारी लैंग्वेज हब | Safe Work Australia पर उपलब्ध है।

कार्य पर अपनी सुरक्षा के बारे में सहायता या सलाह के लिए आप अपने राज्य या राज्य-क्षेत्र में कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियामक या कर्मियों के मुआवज़ा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते/ती हैं - विवरण नीचे दिए गए हैं। यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो **टेलीफोन दुभाषिया सेवा** को **131 450** पर कॉल करें।

आप कार्य पर अपने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में और अधिक जानकारी, सहायता या सलाह के लिए अपनी यूनियन से संपर्क कर सकते/ती हैं। यदि आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि किस यूनियन को कॉल करना है, तो आप Australian Unions से 1300 486 466 पर या www.australianunions.org.au पर संपर्क कर सकते/ती हैं।

आप अपनी कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के बारे में नीचे दिए गए अन्य संगठनों से संपर्क कर सकते/ती हैं।

ऑस्ट्रेलिया में कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा: प्रवासी और बहुसांस्कृतिक कर्मियों के लिए जानकारी

safe work australia

कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियामक

यदि आपको किसी ऐसी कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समस्या का अनुभव हो रहा है या पूर्व में हुआ है, जिसे आपके कार्य-नियोक्ता द्वारा हल नहीं किया गया है, तो सहायता मांगने के लिए

न्यू साउथ वेल्स
SafeWork NSW
वेबसाइट: safework.nsw.gov.au
ईमेल: contact@safework.nsw.gov.au
फोन: 13 10 50

विक्टोरिया
WorkSafe Victoria
वेबसाइट: worksafe.vic.gov.au
ईमेल: Info@worksafe.vic.gov.au
फोन: 1800 136 089 (नि:शुल्क कॉल)

क्वींसलैंड
Workplace Health and Safety Queensland, Office of Industrial Relations
वेबसाइट: worksafe.qld.gov.au
फोन: 1300 362 128

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया
WorkSafe WA
वेबसाइट: commerce.wa.gov.au/WorkSafe/
ईमेल: safety@dmirs.wa.gov.au
फोन: 1300 307 877

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया
SafeWork SA
वेबसाइट: safework.sa.gov.au
ईमेल: help.safework@sa.gov.au
फोन: 1300 366 255

ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र
WorkSafe ACT
वेबसाइट: worksafe.act.gov.au
ईमेल: worksafe@worksafe.act.gov.au
फोन: 13 22 81

उत्तरी राज्य-क्षेत्र
NT WorkSafe
वेबसाइट: worksafe.nt.gov.au
ईमेल: ntworksafe@nt.gov.au
फोन: 1800 019 115

तस्मानिया
WorkSafe Tasmania
वेबसाइट: worksafe.tas.gov.au
ईमेल: wstinfo@justice.tas.gov.au
फोन: 03 6166 4600 (तस्मानिया के बाहर)
फोन: 1300 366 322 (तस्मानिया के अंदर)

कॉमनवेल्थ
यदि आप किसी ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकारी एजेंसी या किसी बड़े आकार के राष्ट्रीय कार्य-नियोक्ता के लिए कार्य करते/ती हैं, तो आप संभावित रूप से Comcare योजना के तहत आ सकते/ती हैं।
Comcare
वेबसाइट: comcare.gov.au
ईमेल: whs.help@comcare.gov.au
फोन: 1300 366 979

कर्मी मुआवज़ा प्राधिकरण

यदि आप कार्य से संबंधित शारीरिक नुकसान या बीमारी के लिए मुआवज़ा चाहते/ती हैं, तो सहायता मांगने के लिए

न्यू साउथ वेल्स
State Insurance Regulatory Authority
वेबसाइट: sira.nsw.gov.au
ईमेल: contact@sira.nsw.gov.au
फोन: 13 10 50

विक्टोरिया
WorkSafe Victoria
वेबसाइट: worksafe.vic.gov.au
ईमेल: Info@worksafe.vic.gov.au
फोन: 1800 136 089 (नि:शुल्क कॉल)

क्वींसलैंड
WorkCover Queensland
वेबसाइट: worksafe.qld.gov.au
ईमेल: info@workcoverqld.com.au
फोन: 1300 362 128

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया
WorkCover WA
वेबसाइट: workcover.wa.gov.au
फोन: 1300 794 744

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया
ReturnToWorkSA
वेबसाइट: rtwsa.com
ईमेल: info@rtwsa.com
फोन: 13 18 55

ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र
WorkSafe ACT
वेबसाइट: worksafe.act.gov.au
ईमेल: worksafe@worksafe.act.gov.au
फोन: 13 22 81

उत्तरी राज्य-क्षेत्र
NT WorkSafe
वेबसाइट: worksafe.nt.gov.au
ईमेल: datantworksafe@nt.gov.au
फोन: 1800 250 713

तस्मानिया
WorkSafe Tasmania
वेबसाइट: worksafe.tas.gov.au
ईमेल: wstinfo@justice.tas.gov.au
फोन: 03 6166 4600 (तस्मानिया के बाहर)

कॉमनवेल्थ
यदि आप किसी ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकारी एजेंसी या किसी बड़े आकार के राष्ट्रीय कार्य-नियोक्ता के लिए कार्य करते/ती हैं, तो आप संभावित रूप से Comcare योजना के तहत आ सकते/ती हैं।
Comcare
वेबसाइट: comcare.gov.au
ईमेल: general.enquiries@comcare.gov.au
फोन: 1300 366 979

आप कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित अपनी चिंताओं के बारे में निम्नलिखित में से किसी भी संगठन के साथ बात कर सकते/ती हैं

कार्य पर वेतन और शर्तों के बारे में पूछने के लिए

Fair Work Ombudsman

वेबसाइट: www.fairwork.gov.au

फोन: 13 13 94

यदि आपको डराया-धमकाया जा रहा है, तो सहायता मांगने के लिए

Fair Work Commission

वेबसाइट: www.fwc.gov.au

फोन: 1300 799 675

यौन उत्पीड़न होने पर सहायता मांगने के लिए

आपातस्थिति में कृपया 000 पर कॉल करें
पुलिस सहायता लाइनफोन
131 444

यदि आपने अपने कार्यस्थल में भेदभाव या यौन उत्पीड़न का अनुभव किया है और आप शिकायत करना चाहते/ती हैं, तो सहायता मांगने के लिए

Australian Human Rights Commission
वेबसाइट: www.humanrights.gov.au
फोन: 1300 656 419

यदि आपको घरेलू, पारिवारिक या यौन हिंसा के कारण समर्थन की आवश्यकता है, तो सहायता मांगने के लिए

राष्ट्रीय घरेलू पारिवारिक एवं यौन हिंसा परामर्श सेवा
वेबसाइट: www.1800respect.org.au
फोन: 1800 RESPECT (1800 737 732)

आपके स्थानीय क्षेत्र में कानूनी केंद्र या प्रवासी और बहुसांस्कृतिक सहायता संगठन भी उपस्थित हो सकते हैं, जिनसे आप समर्थन के लिए संपर्क कर सकते/ती हैं।